प्रकरण संख्या 33/19 RCMS ID-2019/00179 ता0रजू 22.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

कलुवा पुत्र शिब्बू जाति गुर्जर आयु 56 साल निवासी नकटीपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 24.06.2019 न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल मुकदमा नं. 04/19 उनवानी सरकार बनाम कलुवा जिसकी रूह से अपीलाण्ट को 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 10.02.2020

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम नकटीपुरा तहसील मण्डरायल द्वारा ग्राम गढ़ीकागांव तहसील मण्डरायल की आराजी खसरा नं. 1029 रकबा 10–14 बीघा में से 1–00 किस्म चरनौट पर कब्जा कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुगडार द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर तहसीलदार मण्डरायल द्वारा मुकदमा नं. 04/19 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2019 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख एवं मौका रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 24.06.2019 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसिल, पूर्णतया आरबिट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 24.06.2019 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से अपीलाण्ट को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर कर एक ही दिन में सारी कार्यवाही अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में की जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 1029 की कच्ची दीवारी ग्रामवासीयान नकटीपुरा द्वारा मवेशियों के चराव के लिये एवं उक्त चारागाह भूमि से लगे कृषि भूमि में काश्त फसल को मवेशियों से उजाड़ करने को रोकने के लिए की गयी है। अपीलाण्ट का किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध कब्जा करना गलत लिखा है। पटवारी ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। यदि न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का कब्जा माना जावे तो अपीलाण्ट कब्जा हटाने व अंडरटेंकिग प्रस्तुत करने को तैयार है। पत्रावली अपीलाण्ट को सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम गढ़ीकागांव तहसील मण्डरायल की आराजी खसरा नं. 1029 रकबा 1–00 किस्म चरनौट पर कब्जा कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के अतिक्रमण की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुगडार द्वारा की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई जिसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ था। अपीलार्थी ने कोई जवाब पेश नहीं किया। पटवारी हल्का के बयान लिये गये। अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध पाये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध आदेश दिनांक 24.06.2019 पारित किया गया है जो नियमानुसार एवं विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

तहसीलदार मण्डरायल ने मौका रिपोर्ट क्रमांक–राजस्व/2019/924 दिनांक 26.12.2019 से अवगत करवाया है कि अतिक्रमी श्री कलुवा पुत्र शिब्बू जाति गुर्जर ने खसरा नं. 1029 रकबा 10–14 बीघा किस्म चारागाह में पत्थर की मेड बनाकर 1 बीघा भूमि पर कोटरी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। ग्राम गढ़ीकागांव तहसील मण्डरायल की आराजी खसरा नं. 1029 रकबा 1–00 किस्म चरनौट पर कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बुगडार द्वारा की गई। अपीलार्थी को जारी नोटिस के क्रम में अपीलार्थी स्वयं अदालत मातहत में उपस्थित हुआ एवं कोई जवाब पेश नहीं किया। पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं। अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध पाये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2019 पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही होने के उपरांत भी अर्थात् अतिक्रमी के अपील पेश करने से पहले अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण की जानकारी अपीलार्थी को होने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.06.2019 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.06.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:43:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: